

25/1/19

प्रार्थना एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। ईद आते ही
कागडें गई लेकिन बार बार आवारे लगने पर
भी प्रार्थना की श्रोक से कोई अदालत उपस्थित नहीं आया।

प्रकरण दिनांक 14/3/18 से प्रथम पत्र आदेश 7 नियम 11
Case की वलस में लम्बित चला आता है। लेकिन
बलस नहीं की गई है।

अतः प्रकरण प्रार्थना की लापरवाही है कारण
अंश नकली एवं अंश पेशी अंश हाजिरी में खाली
दिया जाता है। मिसल के सल शुमार लेकर नम्बर
से कम है। वाद दफ्तर दारिजल है।

आदेश आज खुले न्यायालय में सुनया गया।

(पर्वतसिंह मूण्डवत)

उपखण्ड अधि. एवं सहायक एवं

नकसा (अजमेर) राज.

